न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
59 / 2022	10 / 11 / 2022	08 / 09 / 2025

1. छोटूलाल पुत्र रामदेव जाति पटवा निवासी लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
2. हजारी लाल पुत्र रामदेव जाति पटवा निवासी लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

–वादीगण

बनाम

1. कजोड़ीलाल पुत्र माधोलाल जाति पटवा निवासी लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

–प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता वादीगण की ओर से– श्याम बैरवा एड0।
उपस्थित अधिवक्ता प्रतिवादी कम 1 की ओर से– लेखराज धाकड़

वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक–08.09.2025

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वाके माल ग्राम लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान की मुताबिक जमाबंदी सवंत 2041–60 में दर्ज खाता संख्या 64 की खसरा नंबर 154 रकबा 1.11 हैक्टर, खसरा नंबर 220 रकबा 1.33 हैक्टर, खसरा नंबर 496 रकबा 0.85 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.29 हैक्टर कृषि आराजी वादीगण हजारीलाल, छोटूलाल के पिता रामदेव पुत्र घांसीनाथ व प्रतिवादी क्रम 1 के पिता माधो पुत्र घांसीनाथ के खाते बराबर बराबर हिस्से में राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी 1 के पिता बराबर हिस्सा मुताबिक काबिज काश्त चले आ रहे थे और वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 काबिज काश्त है।

यह कि ग्राम लुहावद की जमाबंदी संवत 2054–57 के मुताबिक वाद पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार वादीगण के पिता रामदेव के फौत हो जाने के बाद नामांतरण संख्या 49 से मृतक रामदेव के स्थान पर उसके विधिक वारिसान वादीगण हजारीलाल, छोटूलाल पुत्रान रामदेव, रामकन्या बेवा रामदेव का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी, कानूनगो व ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी अधिकारिता के प्रतिवादी क्रम 1 कजोड़ी लाल पुत्र माधोलाल को मृतक रामदेव का वारिस बताकर मृतक रामदेव के वारिसान के साथ राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि मृतक रामदेव के स्थान पर केवल उसके विधिक वारिसान हजारीलाल, छोटूलाल व रामकन्या का ही नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए था।

यह कि ग्राम लुहावद की जमाबंदी सवंत 2058–61 के मुताबिक वाद पत्र में वर्णित आराजी पर नामांतरण संख्या 491 से मृतक माधो पुत्र घांसी नाथ के स्थान पर उसके एक मात्र विधिक वारिस प्रतिवादी क्रम 1 कजोड़ीलाल पुत्र माधो का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।

यह कि ग्राम लुहावद की वादपत्र में वर्णित आराजी की जमाबंदी सवंत 2058–61 के मुताबिक नामांतरण संख्या 771 से खसरा नंबर 220 के स्थान पर 1625 रकबा 1.25 हैक्टर व खसरा नंबर 496 रकबा 0.85 के स्थान पर खसरा नंबर

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

1700 रकबा 0.80 हैक्टर नवीन खसरा नंबर दर्ज किया गया तथा वर्णित आराजी की जमाबंदी संवत 2062–65 के मुताबिक नामांतरण संख्या 1047 से खसरा नंबर 154 रकबा 1.11 हैक्टर के स्थान पर खसरा नंबर 1966 रकबा 1.04 हैक्टर नवीन खसरा नंबर दर्ज किया गया। इस प्रकार ग्राम लुहावद की नवीन जमाबंदी संवत 2066–69 में नवीन खसरा नंबर 1625 रकबा 1.25 हैक्टर, खसरा नंबर 1700 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नंबर 1966 रकबा 1.04 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.09 हैक्टर दर्ज किया गया।

यह कि प्रतिवादी क्रम 2 तहसीलदार पीपल्दा व उसके अधीनस्थ राजस्व अधिकारी व कर्मचारी द्वारा जमाबंदी संवत 2074–77 ग्राम लुहावद खसरा नंबर 1625 रकबा 1.25 हैक्टर, खसरा नंबर 1700 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नंबर 1966 रकबा 1.04 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.09 हैक्टर पर वादीगण हजारीलाल, छोटूलाल पुत्रान रामदेव व रामकन्या बेवा रामदेव को 1/2 हिस्से का खातेदार (प्रत्येक को 1/6 –1/6 –1/6 हिस्से का दर्ज किया जाना चाहिए था तथा प्रतिवादी क्रम 1 कजोड़ीलाल पुत्र माधो को 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जाना चाहिए था।

यह कि ग्राम लुहावद की खसरा नंबर 1625 /1 रकबा 0.13 हैक्टर व खसरा नंबर 1692 रकबा 0.31 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 हैक्टर पर मृतक रामदेव पुत्र घांसीनाथ खातेदार होने से सम्पूर्ण आराजी पर छोटूलाल, हजारीलाल पुत्रान रामदेव व रामकन्या बेवा रामदेव का ही नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। प्रतिवादी क्रम 1 कजोड़ीलाल पुत्र माधो को रामदेव का पुत्र बताकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है, जो गलत है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

यह कि वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि ग्राम लुहावद की खसरा नंबर 1625/1 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नंबर 1692 रकबा 0.31 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 हैक्टर सम्पूर्ण कृषि आराजी से प्रतिवादी क्रम 2 कजोड़ीलाल का नाम विलोपित किया जाकर सम्पूर्ण आराजी पर वादीगण हजारी लाल, छोटूलाल पुत्रान रामदेव को खातेदार दर्ज किया जावे। इसी प्रकार ग्राम लुहावद की खसरा नंबर 1625 रकबा 1.25 हैक्टर, खसरा नंबर 1700 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नंबर 1966 रकबा 1.04 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.09 हैक्टर कृषि आराजी के खाते को दुरूस्त किया जाकर वादीगण हजारीलाल, छोटूलाल पुत्रान रामदेव को 1/2 हिस्से का खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें तथा कजोड़ीलाल पुत्र माधो को 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जावें तथा खातेदार रामकन्या बाई जो वाद पत्र में वर्णित आराजी में संयुक्त खातेदार है, जो मृतक रामदेव की विधिक वारिसान है, रामकन्या बाई फौत हो जाने से मृतक रामदेव की सम्पूर्ण आराजी पर वादीगण ही खातेदार दर्ज होने के अधिकारी है।

यह कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार रामकन्या बाई बेवा रामदेव फौत हो जाने से वादपत्र में पक्षकार नही बनाया गया है।

कि वाके माल ग्राम लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान की कृषि आराजी खसरा नंबर 1625 रकबा 1.25 हैक्टर खसरा नंबर 1700 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नंबर 1966 रकबा 1.04 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.09 हैक्टर सम्पूर्ण कृषि आराजी पर वादीगण हजारीलाल पुत्र रामदेव जाति पटवा निवासी लुहावद को 1/3 हिस्से का तथा छोटूलाल पुत्र रामदेव जाति पटवा निवासी लुहावद को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

कि ग्राम लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान की कृषि आराजी खसरा नंबर 1625/1 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नंबर 1692 रकबा 0.31 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 हैक्टर कृषि भूमि से प्रतिवादी क्रम 1 कजोड़ीलाल का नाम विलोपित किया जाकर सम्पूर्ण आराजी पर वादीगण छोटूलाल पुत्र रामदेव जाति पटवा निवासी लुहावद को 1/2 हिस्से का तथा हजारीलाल पुत्र पुत्र रामदेव जाति पटवा निवासी लुहावद को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें।

वादी की ओर से श्याम बैरवा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी सम्मन से करवाई गई। प्रतिवादीकम 1 की ओर से श्री लेखराज धाकड़ एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीकम 1 की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली में वादी वकील व प्रतिवादी वकील द्वारा राजीनामा पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली है। सरकार पैरोकार उपस्थित हुए। जवाब सरकार पेश किया जो शामिल पत्रावली है। बहस सुनी गई।

यह ग्राम लुहावद पटवार हलका लुहावद तहसील पीपल्दा में स्थित कृषि आराजी जो वादीगण (छोटूलाल, हजारीलाल पुत्रान रामदेव जाति पटवा) तथा प्रतिवादी कम 01 (कजोड़ीलाल पुत्र माधोलाल) की संयुक्त खाते में दर्ज खाता सं0 नया 30 ख0नं0 1625 रकबा 1.25है0, ख0नं0 1700 रकबा 0.80है0, ख0नं0 1966 रकबा 1.04है0, कुल किता 3 कुल रकबा 3.09है0 है।

यह कि उक्त भूमि में वादीगण– छोटूलाल, हजारीलाल प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादीकम–1 कजोडीलाल पुत्र माधो का हि0 1/5, कजोडीलाल पुत्र रामदेव हि0 1/5, तथा मृतक खातेदार रामकन्या का 1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है।

यह ग्राम लुहावद में स्थित कृषि आराजी ख0नं0 1625 रकबा 1.25है0, ख0नं0 1700 रकबा 0.80है0, ख0नं0 1966 रकबा 1.04है0, कुल किता 3 कुल रकबा 3.09है0, में से कजोडीलाल पुत्र रामदेव एवं रामकन्या पत्नि रामदेव का नाम विलोपित करते हुए सम्पूर्ण खाता दुरूस्त किया जाकर सम्पूर्ण आराजी में राजीनामा मुताबिक वादीगण–छोटूलाल पुत्र रामदेव का 1/4 हिस्सा, हजारीलाल पुत्र रामदेव का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी–कजोडीलाल पुत्र माधो का 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे।

यह इसी प्रकार ग्राम लुहावद की आराजी ख0नं0 1625/1 रकबा 0.13है0, ख0नं0 1692 रकबा 0.31है0, कुल किता 2 रकबा 0.44है0, में वादीगण–छोटूलाल, हजारीलाल प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा, कजोडीलाल प्रतिवादी का 1/4 हिस्सा तथा मृतक खातेदार– रामकन्या का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है।

यह कि ग्राम लुहावद की कृषि आराजी ख0नं0 1625/1 रकबा 0.13है0, ख0नं0 1692 रकबा 0.31है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.44है0 में से कजोडीलाल पुत्र रामदेवा एवं रामकन्या पत्नि स्व0 रामदेव का नाम विलोपित करते हुए सम्पूर्ण खाता दुरूस्त किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीकम 1 के राजीनामा मुताबिक उक्त सम्पूर्ण आराजी में वादीगण छोटूलाल पुत्र रामदेव का 1/2 हिस्सा, हजारीलाल पुत्र रामदेव का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

अतः यह राजीनामा (हम) वादीगण एवं प्रतिवादीकम 1 ने राजी खुशी व स्वतंत्र सहमति व बिना दबाव के किया है। राजीनामा प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान से निवदेन है हमारे द्वारा आलेखित राजीनामा को तस्दीक कर शामिल

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

पत्रावली किया जाकर राजीनामा अनुसार प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करें।

जवाब सरकार–

प्रकरण में आज दिनांक 21.02.2025 को ही वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया है। जो पत्रावली में संलग्न है। अतः मुताबिक राजीनामा के एवं रामकन्या के मृत्युप्रमाण पत्र सं0082127006500077000018/2021 दिनांक 27.03.2021 के ग्राम लुहावद के खाता सं0 30 किता 3 कुल रकबा 3.09 में कजोडीलाल पुत्र मोधा हि0 1/2, छोटूलाल पुत्र रामदेव हि0 1/4 हजारीलाल पुत्र रामदेव हिस्सा 1/4 एवं खाता सं0 491 में किता 2 कुल रकबा 0.44 है0, में छोटूलाल पुत्र रामदेव हि0 1/2 हजारीलाल पुत्र रामदेव हि0 1/2 किया जाना उचित है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को अवलोकन मनन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम लुहावद पटवार हलका लुहावद तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में स्थित कृषि आराजी खसरा नं 1625 रकबा 1.25है0, खसरा नं0 1700 रकबा 0.80है0, खसरा नं0 1966 रकबा 1.04है0, कुल किता 3 कुल रकबा 3.09है0, में से कजोडीलाल पुत्र रामदेवा व रामकन्या पत्नि रामदेव का नाम विलोपित कर सम्पूर्ण खाता दुरूस्त किया जाकर वादीगण छोटूलाल पुत्र रामदेव को 1/4 हिस्से का, हजारीलाल पुत्र रामदेव प्रत्येक को 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादीकम 1 कजोडीलाल पुत्र माधो को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार ग्राम लुहावद पटवार हलका लुहावद तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में स्थित कृषि आराजी खसरा नं0 1625/1 रकबा 0.13है0, खसरा नं0 1692 रकबा 0.31है0, कुल किता 2 कुल रकबा .044 है0, में से कजोडीलाल पुत्र रामदेवा व रामकन्या पत्नि रामदेव का नाम विलोपित कर सम्पूर्ण आराजी में वादीगण– छोटूलाल पुत्र रामदेव, हजारीलाल पुत्र रामदेव प्रत्येक को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

सहायक कलेक्टर

इटावा जिला कोटा(राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर0ए0एस0

मिसल संख्या
59 / 2022 | तारीख दायरा 10 / 11 / 2022 | तारीख फैसला 08 / 09 / 2025

1. छोटूलाल पुत्र रामदेव जाति पटवा निवासीगण लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
2. हजारी लाल पुत्र रामदेव जाति पटवा निवासीगण लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

–वादीगण

बनाम

1. कजोड़ीलाल पुत्र माधोलाल जाति पटवा निवासी लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

–प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता वादीगण की ओर से– श्याम बैरवा एड0।
उपस्थित अधिवक्ता प्रतिवादी कम 1 की ओर से– लेखराज धाकड़ एड0।

वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक–08.09.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री श्याम बैरवा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम लुहावद पटवार हलका लुहावद तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में स्थित कृषि आराजी खसरा नं 1625 रकबा 1.25है0, खसरा नं0 1700 रकबा 0.80है0, खसरा नं0 1966 रकबा 1.04है0, कुल किता 3 कुल रकबा 3.09है0, में से कजोडीलाल पुत्र रामदेवा व रामकन्या पत्नि रामदेव का नाम विलोपित कर सम्पूर्ण खाता दुरूस्त किया जाकर वादीगण छोटूलाल पुत्र रामदेव को 1/4 हिस्से का, हजारीलाल पुत्र रामदेव प्रत्येक को 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादीकम 1 कजोडीलाल पुत्र माधो को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार ग्राम लुहावद पटवार हलका लुहावद तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में स्थित कृषि आराजी खसरा नं0 1625/1 रकबा 0.13है0, खसरा नं0 1692 रकबा 0.31है0, कुल किता 2 कुल रकबा .044 है0, में से कजोडीलाल पुत्र रामदेवा व रामकन्या पत्नि रामदेव का नाम विलोपित कर सम्पूर्ण आराजी में वादीगण– छोटूलाल पुत्र रामदेव, हजारीलाल पुत्र रामदेव प्रत्येक को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। इसी अनुरूप अमल दरामद किया जावें। तदनुसार डिकी जारी की जाती है।

डिकी मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 08.09.2025 को जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलेक्टर
इटाइटविलजिला कोटा.)